

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व लाडवांस

भू अभिलेख निरीक्षक

जमाजी

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाडवांस पटवार हल्का लाडवांस तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् १९८३ + २०७६-७७ में खाता संख्या ७०८, ७०९ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>लाडवांस</u>	<u>७०८</u> <u>७०९</u>	<u>भविष्य पुत्र जमावाप</u> <u>मलाजम</u>	<u>भविष्य पुत्र जमावाप</u> <u>मलाजम</u>

**प्रमारी अधिकारी**

**उपखण्ड अधिकारी**

करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- २५/५/२२

क्रमांक/न्यायालय /2022 /५७

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री भविष्य पुत्र जमावाप  
मि० लाडवांस

**प्रमारी अधिकारी**

**उपखण्ड अधिकारी**

करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2022/401